



8/8/83

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

आधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 300]
No. 300]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 1983/आषाढ़ 15, 1905
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 1983/ASADHA 15, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

मंत्रीमण्डल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 1983

का. आ. 496(ब) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77
के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत
सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के
लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन)
(एक नौ अट्ठावनवां संशोधन) नियम, 1983 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में, द्वितीय
अनुसूची में,—

(क) शीर्षक “शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय” के नीचे
उप-शीर्षक “ख. संस्कृति विभाग के अन्तर्गत”,
प्रविष्टि 6 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी
जाए, अर्थात् :—

“6-क. गांधी स्मृति समिति और गांधी वर्शन का प्रशा-
सन।” ;

(ख) शीर्षक “विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय”
के नीचे उप-शीर्षक “क. विधि कार्य विभाग” के
अन्तर्गत, प्रविष्टि 6 के स्थान पर, निम्नलिखित
प्रविष्टि रखी जाए, अर्थात् :—
“6. भारतीय विधि सेवा।” ;

(ग) शीर्षक “निर्माण और आवास मंत्रालय” के नीचे,—

(1) प्रविष्टि 12 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि
रखी जाए, अर्थात् :—

“12. आवास नीति और कार्यक्रम का तैयार किया
जाना (इसके अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय
को सौंपी गई भूमि-हीन ग्रामीण श्रमिकों के
लिए आवास की नोडल जिम्मेवारी नहीं
है)। योजना स्कीमों के कार्यान्वयन का
पुनर्विलोकन। निर्माण-सामग्री और निर्माण
संकीर्ण सम्बन्धी जाँचों का संग्रहण और
प्रसारण। निर्माण लागत घटाने के साधा-
रण उपाय।” ;

(2) प्रविष्टि 12 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि
रखी जाए, अर्थात् :—

“12-क. मानव बस्ती, जिसमें युनाइटेड नेशनल
कमीशन फार ह्यूमन सेटलमेंट तथा आवासन

और मानव बस्ती के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता और तकनीकी सहायता भी है।” ;

(3) प्रविष्टि 30 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए, अर्थात् :—

“30. राजवाट समाधि समिति का प्रशासन।” ;

(घ) शीर्षक “महासागर विकास विभाग” के नीचे, प्रविष्टि 2 में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में, “सुरक्षा” शब्द का लोप किया जाए।

जैल सिंह,
राष्ट्रपति

[सं. 74/2/5/83-मंत्र.]

प्रेम कुमार, अपर सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 1983

S.O. 496(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and fifty-eighth Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

(a) under the heading “MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE (SHIKSHA ANR SANSKRITI MANTRALAYA)”, under the sub-heading “B. DEPARTMENT OF CULTURE (SANSKRITI VIBHAG)”, after entry 6, the following entry shall be inserted, namely :—

“6A. Administration of Gandhi Smriti Samiti and Gandhi Darshan.”;

(b) under the heading “MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(VIDHI, NYAYA AUR KAMPANI KARYA MANTRALAYA)”, under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS (VIDHI KARYA VIBHAG)”, for entry 6, the following entry shall be substituted, namely :—

“6. Indian Legal Service.”;

(c) under the heading “MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (NIRMAN AUR AWAS MANTRALAYA)”—

(i) for entry 12, the following entry shall be substituted, namely :—

“12. Formulation of housing policy and programme (except nodal responsibility for housing for landless rural labour which is assigned to the Ministry of Rural Development). Review of the implementation of the Plan Schemes. Collection and dissemination of data on housing, building materials and building techniques. General measures for reduction of building costs.”;

(ii) after entry 12, the following entry shall be inserted, namely :—

“12A. Human Settlement, including the United Nations Commission for Human Settlement and International Cooperation and Technical Assistance in the field of Housing and Human Settlement.”;

(iii) for entry 30, the following entry shall be substituted, namely :—

“30. Administration of Rajghat Samadhi Committee.”;

(d) under the heading “DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT (MAHASAGAR VIKAS VIBHAG)”, in entry 2, in the opening paragraph, the word “security” shall be omitted.

ZAIL SINGH,
President

[No. 74/2/5/83-Cab.]

PREM KUMAR, Additional Secy.